दि0 26.07.2014 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में श्री एस0एस0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति,उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की बारहवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति का विवरण :

1. श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
2. श्री एस.टी.एस. लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
3. श्री शोबरन लाल, वन संरक्षक, परियोजनाएं, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रतिनिधि प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति।
4. श्री धनन्जय मोहन, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड प्रतिनिधि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
5. श्री एम.एस. बिष्ट, वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
6. सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारी समिति (Executive Committee)की बारहवीं बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.1

दि029.01.2014 को सम्पन्न हुई ग्यारहवीं कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवृत्त का अनुपालन

सभी सदस्यों द्वारा गत ग्यारहवीं बैठक की कार्यकारी समिति की कार्यवाही की पुष्टि की गई तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 के लक्ष्यों के अनुरूप सभी जोन, वृत्त तथा प्रभाग कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.2:

कैम्पा निधि के अन्तर्गत APO2013–14 के सापेक्ष प्रगति का विवरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा सदस्यों को वर्ष 2013–14 के सापेक्ष प्रगति से अवगत कराया गया कि स्वीकृत संशोधित वार्षिक कार्ययोजना रू0 106.40 करोड़ के सापेक्ष रू0 81.71 करोड़ की धनराशि विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गयी। जिसके सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा रू0 66.79 करोड़ का व्यय किया गया। समिति के सदस्यगण उपरोक्त से अवगत हुये।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.3:**

**कैम्पा निधि के अंतर्गत प्रस्तावित APO 2014–15 का अनुमोदनः**

सदस्यगणों के सम्मुख कैम्पा निधि के अन्तर्गत संचालन समिति द्वारा अनुमोदित की गई वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 का घटकवार उल्लेख किया गया तथा उन्हें अवगत कराया गया कि संचालन समिति, कार्यकारी समिति द्वारा पारित NPV घटक के अन्तर्गत रू0 5809.92 लाख की कार्ययोजना को बढ़ाकर रू0 6409. 92 लाख पारित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना का आकार बढ़कर रू0 12054.00 लाख हो गया है। समिति के सदस्यगण उपरोक्त से अवगत हुये।

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.4:**

**कैम्पा निधि के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 के सापेक्ष प्रगति विवरण।**

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि की वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 रू0 12054.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को रू0 3173.93 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रू0 1095.38 लाख का व्यय किया जा चुका है, जो स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष क्रमशः 9.08 प्रतिशत एवं 34.52 प्रतिशत है।

समिति के सदस्यों द्वारा कार्यो की धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को कार्यो की गति बढ़ाने हेतु निर्देशित करने के लिए कहा गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि माह जून, 2014 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की प्रगति 34.52 प्रतिशत है अतः यह अपेक्षित है कि वर्षाकाल में वृक्षारोपण का कार्य गतिमान होने पर 80 प्रतिशत वन प्रभाग जुलाई, 2014 तक अवमुक्त धनराशि का कम से कम 70 प्रतिशत व्यय किया जायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जून, 2014 के अनुसार एड–हॉक कैम्पा द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा को न्यूनतम 70 प्रतिशत की धनराशि व्यय करने पर ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। इस दिशा में सभी क्रियान्वयन अभिकरणों को माह जून के अन्त तक अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत व्यय होने पर माह अगस्त, 2014 में अगली किश्त (40 प्रतिशत) अवमुक्त किये जाने की जानकारी देते हुए पत्र जारी किया जा चुका है। समिति के सदस्यगण उपरोक्त से अवगत हुये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं की पृच्छा के कम में अवगत कराया गया कि कैम्पा द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को broad component जैसे NPV, CA, PA, Others एवं CAT Plan के अंतर्गत ही धनराशि अवमुक्त की जाती है एवं कैम्पा द्वारा broad component के अंतर्गत कार्य करने हेतु कियान्वयन अभिकरणों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः Broad component के अंतर्गत समयबद्ध रूप से प्रतिबद्ध स्थल विशिष्ट कार्यों को संपन्न कराने एवं उन कार्यो को ससमय बुकिंग कराने की पूर्ण जिम्मेदारी कियान्वयन इकाईयों की होगी।

(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/प्रभागीय अधिकारी वन प्रभाग)

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.5:**

**उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के वर्ष 2013–14 के कार्यो की आन्तरिक लेखा परीक्षा की अद्यावधिक स्थितिः**

सदस्यगणों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि के लेखों के समुचित रखरखाव तथा महालेखापरीक्षक, भारत सरकार के लेखा परीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए CAG Empanelled firms के माध्यम से कैम्पा निधि के लेखों का परीक्षण का कार्य क्रियान्वयन अभिकरणों के स्तर पर गतिमान है।

आन्तरिक लेखा परीक्षण की अनिवार्यता के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु CA firm की सेवा लिये जाने की कार्यवाही किस प्राविधान के अन्तर्गत की जा रही है ? प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग में भी आन्तरिक लेखा परीक्षक हैं जिनके माध्यम से भी आन्तरिक लेखा परीक्षण कराया जा सकता है। इस पर वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में केवल 2 आन्तरिक लेखा परीक्षक हैं जिनकी विभागीय कार्यों में ही अत्यधिक व्यस्तता है।

वित्त नियंत्रक की पृच्छा के कम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पा की वार्षिक बैलेंस शीट तैयार कर CAG को प्रस्तुत की जानी आवश्क है जिस कारण बैलेंस शीट तैयार किये जाने से पूर्व, उत्तराखण्ड असाधारण गजट संख्या–1922/X-2-2012-7(6)/2004 टी0सी0 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 से प्रकाशित अधिसूचना के बिन्दु सं0–14 (घ) में निहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्य, शक्तियां और कर्त्तव्य के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षण किया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अग्रेत्तर अवगत कराया गया कि वन विभाग के कार्मिकों की व्यस्तता के अतिरिक्त उक्त कार्मिकों को Double Entry system एवं Tally Software आदि में कार्य का अनुभव नहीं है। विभागीय लेखाकारों द्वारा Double Entry System के अनुसार आय–व्यय एवं कैम्पा प्राधिकरण के mandate के अन्तर्गत रसीद–प्राप्ति विवरण एवं बैलेंस शीट इत्यादि लेखे भी वार्षिक रूप से तैयार करने का आवश्यक अनुभव न होने के कारण आन्तरिक लेखा परीक्षण का कार्य CAG Empanelled CA firms से कराया जाना आवश्यक है।

वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षण हेतु Empanelment से पूर्व कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि ग्यारहवीं कार्यकारी समिति की बैठक में आन्तरिक लेखा परीक्षण हेतु सहमति प्राप्त कर ली गई थी। समिति के सदस्यगण उपरोक्त से अवगत हुये।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.6:**

**क्रियान्वयन अभिकरणों के व्यय की प्रविष्टि Tally ERP 09 में कराने के सम्बन्ध में :**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 17.02.2014 को आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान वन विभाग के स्टाफ को Tally software पर कार्य करने का अनुभव न होने एवं फील्ड में दक्ष स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण Tally software में लेखा प्रविष्टि करने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं एवं Tally software में लेखा प्रविष्टि का कार्य बाधित हो रहा है एवं ससमय पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु कैम्पा मुख्यालय द्वारा प्रयोगात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 2014–15 के मासिक लेखा के Tally ERP 09 में प्रविष्टि का कार्य कैम्पा मुख्यालय में ही मासिक रूप से राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से चयनित की गई सी0ए0 फर्म मै0 रॉय घोष एण्ड एसोसिएट्स, देहरादून से कराए जाने कि प्रकिया आरम्भ हो चुकी है। उक्त हेतु समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्धारित प्रारूप में वन विभाग के लेखा सम्बन्धित प्रारूप (ई–2, ई–7 एवं पासबुक की प्रति) लेखा प्रविष्टि प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु कैम्पा कार्यालय स्तर से दिनांक 08.07.2014 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त व्यवस्था से कैम्पा कार्यो की व्यय की प्रगति में उत्तरोत्तर सुधार आने की अपेक्षा की जाती है। समिति के सदस्यगण उपरोक्त से अवगत हुये।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.7 :

Concurrent Monitoring & Evaluation की अद्यावधिक स्थिति :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा उपरान्त 2 संस्थागत सलाहकार (Institutional consultants) एवं 3 व्यक्तिगत सलाहकारों (Individual consultants) को वर्ष 2013–14 के कार्यों की concurrent monitoring & evaluation के लिए अनुबन्धित किया गया है।

प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें द्वारा उक्त चयनित सलाहकारों से मूल्यांकन कराई जा रही गतिविधियों के चयन के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सलाहकारों से किये गये अनुबन्ध के अनुसार उन्हें प्रत्येक प्रभाग में मूल्यांकन हेतु आवंटित गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाता है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड द्वारा वर्षाकाल के उपरान्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य कराये जाने का सुझाव दिया गया क्योंकि वर्षाकाल के समय विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों में वृक्षारोपण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। गतिविधियों का निर्धारण उक्त वन प्रभाग में वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि एवं उसके सापेक्ष हुये कार्य के आधार पर किया जाता है।

प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी पूछे जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बताया गया कि चयनित सलाहकारों द्वारा प्रत्येक वन प्रभाग में सभी गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर निर्धारित प्रारूप में दर्शित बिन्दुओं के आधार पर टिप्पणी अंकित की जाती है। मूल्यांकन के समय गतिविधिवार उठाये गये बिन्दुओं पर सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों से अनुपालन पर टिप्पणी मांगी जाती है। संतोषजनक अनुपालन/टिप्पणी प्राप्त होने पर प्रकरण के निस्तारण की प्रकिया है। समिति के सदस्य गण उक्त से अवगत हुये।

(कार्यवाही–समस्त कार्यान्वयन अभिकरण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.8 :

कैम्पा निधि से रेंज स्तर हेतु वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संचालन समिति की सप्तम बैठक दिनांक 27.03.2014 में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 में वाहन क्रय करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड स्तर पर रु. 360.00 लाख का प्राविधान है।

उपरोक्त के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा रेंज स्तर हेतु 30 कैम्पर एवं 30 बोलेरो वाहन क्रय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसकी समिति द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.9 :

Overall WorkPlan के Mid-term Review से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च, 2015 में राज्य कैम्पा हेतु तैयार किये गये 10 वर्षीय प्लान वर्ष की 5 वर्ष अवधि पूर्ण हो जायेगी। अतः 10 वर्षीय प्लान का Mid-term Reviewकिया जाना प्रस्तावित है। जिसके सम्बन्ध में सदस्यगणों से बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं। समिति के सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से उनके सुझाव चाहे गये।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्तमान MIS complicated है जिसे simplify किया जाना चाहिए एवं MIS में 4th level activity के स्थान पर अधिकतम 2nd level activity तक की प्रविष्टि होनी चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय द्वारा उठाए बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए अवगत कराया गया कि MIS के सरलीकरण से सम्बन्धित कोई भी कार्य Mid-term Review से पूर्व सम्भव नही है क्योंकि विगत वर्षों का MIS में दर्ज डाटा भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है एवं भारत सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसे ऑनलाइन मॉनिटरिंग करती है। Mid-term Review करते समय प्रविष्टि को सरल बनाये जाने से पहले पूर्व के MIS डाटा को अन्य राज्यों द्वारा कैम्पा के अंतर्गत कियान्वयन किए जा रहे कार्यों के साथ समतुल्यता रखते हुए विकसित किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कैम्पा के कार्मिकों को इस हेतु अध्ययन भ्रमण हेतु उन राज्यों में भेजा जाएगा जहां कैम्पा की रिर्पोटिंग का कार्य सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। समिति के सदस्यगण उक्त से अवगत हुये।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 12.10 :**
**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :**

**कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.1 :**
**कैट प्लान हेतु वाहन एवं ईंधन :**

प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाये उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्रांक–599/3–19 दिनांक 12 मार्च, 2014 कैट प्लान के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु राजकीय वाहन उपलब्ध कराये जाने एवं वाहन में ईंधन की देयता के सम्बन्ध में अनुरोध किया है जिससे कि कैट प्लान के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा, कार्यो का निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

उक्त के परिपेक्ष में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु 1 बोलेरो वाहन नोडल प्रभाग हेतु DGS&D दरों पर कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज से क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु लगभग रू0 6.50 लाख का व्यय आयेगा। कार्यकारी समिति द्वारा वाहन क्रय हेतु रू0 6.50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा )

**कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.2 :**
**वाहन क्रय :**

उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की दिनांक 27.03.2014 को आयोजित सप्तम बैठक में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का सृजन किया गया है। अतः उक्त के कारण कैम्पा कार्यालय में एक वाहन क्रय किये जाने की आवश्कता है। वर्तमान में कैम्पा कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रयोगार्थ वाहन 4 वर्ष पुराना है।

उक्त के परिपेक्ष्य में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वाहन को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्यालय कार्य सम्पादन हेतु दिया जायेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेतु कार्यालय वाहन स्कॉर्पियो तथा समतुल्य DGS&D दरों पर कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु लगभग रू0 10.00 लाख का व्यय आयेगा। कार्यकारी समिति द्वारा वाहन क्रय हेतु रू0 10.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.3 :

पिथौरागढ़ वन प्रभाग में जंगली सूअर रोधी दीवार निर्माण :

पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा जंगली सूअर रोधी दीवार निर्माण हेतु रू0 316.05 लाख का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ जो वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 में प्राविधानित नही था परन्तु मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पिथौरागढ़ वन प्रभाग के कुछ गांवों में जंगली सुअर रोधी दीवार का निर्माण Piloting के आधार पर किए जाने हेतु दिए गए निर्देशों एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के अनुमोदन के क्रम में पिथौरागढ़ वन प्रभाग को क्रमशः रू0 10.00 लाख, रू0 20.00 लाख एवं रू0 20.00 लाख कुल रू0 50.00 लाख जंगली सूअर रोधी दीवार हेतु अवमुक्त किये गये उक्त धनराशि मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ स्तर पर एन0पी0वी0 मद में Amount for planning मद से अवमुक्त की गयी जिसकी MIS प्रविष्टि 1.b.3.1 मद (Stone/concrete walling at critical boundaries) में की जानी है।

मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश के कम में इस प्रकार की योजना को कैम्पा निधि के अन्तर्गत केवल पायलेटिंग के रूप में ही किया जाना है अतः पिथौरागढ़ वन प्रभाग को पूर्व में प्रेषित रू0 316.05 लाख के प्रोजेक्ट के सापेक्ष रू0 50.00 लाख की धनराशि का ही प्रस्ताव वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित कराकर उत्तराखण्ड कैम्पा को प्रस्तुत किया जाय एवं शेष का विस्तारीकरण मनरेगा से वित्त पोषित किया जाय। कार्यकारी समिति द्वारा उक्त रु. 50.00 लाख की धनराशि के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग)

कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.4 :

अल्मोड़ा वन प्रभाग में जंगली सूअर रोधी दीवार निर्माण एवं कोसी जलागम क्षेत्र उपचार :

अल्मोड़ा वन प्रभाग से जंगली सूअर रोधी दीवार निर्माण हेतु रू0 283.29 लाख एवं कोसी जलागम उपचार क्षेत्र हेतु रू0 402.95 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त के पत्र दिनांक 31.05.2014 में अंकित टीप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जंगली सूअर रोधी दीवार निर्माण हेतु प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने के लिए रू0 20.00 लाख प्रारम्भ में दे दिया जाय। उक्त निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा से प्राप्त प्रस्ताव के सापेक्ष रू0 10.00 लाख जंगली सूअर रोधी दीवार निर्माण हेतु अवमुक्त किए गये जिसकी MIS प्रविष्टि 1.b.3.1 मद (Stone/concrete walling at critical boundaries) में की जानी है। उपरोक्त अवमुक्त धनराशि में जंगली सूअर रोधी दीवार निर्माण हेतु व्यय की गयी धनराशि की प्रमुख वन संरक्षक एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अल्मोड़ा वन प्रभाग संशोधित वार्षिक कार्ययोजना में उपरोक्त गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए जंगली सूअर रोधी दीवार हेतु रू0 10.00 लाख किया जाय एवं इस पायलेटिंग कार्य को रू0 10.00 लाख के भीतर ही सीमित रखते हुए इसका आवश्यक विस्तारीकरण मनरेगा के अन्तर्गत किया जाय। कार्यकारी समिति द्वारा उक्त रु. 10.00 लाख की धनराशि के प्राविधान का अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के अनुमोदन के उपरान्त कोसी जलागम क्षेत्र उपचार की योजना हेतु रु. 20.00 लाख अवमुक्त किये गये। उक्त धनराशि मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ के स्तर पर एन0पी0वी0 मद में Amount for planning मद से अवमुक्त की गयी। उक्त योजना हेतु अवमुक्त की गई रु. 20.00 लाख की धनराशि को, भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु लगाए गए प्रतिबंध के परिप्रेक्ष्य में, आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए creation of water bodies (MIS मद 1.b.1.5) मद में हेतु की जानी प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में समिति द्वारा रु. 20.00 लाख की धनराशि को उक्त मद में व्यय किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग)

कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.5 :

भूमि संरक्षण निदेशालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण :

दिनांक 09.07.2014 को भूमि संरक्षण निदेशालय में कैम्पा एवं नोडल अधिकारी कार्यालय में संधारित आंकड़ों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु लिये जाने वाले निर्णय पर चर्चा हुई। जिसमें सहमति व्यक्त की गयी कि कैम्पा निधि की धनराशि से नोडल अधिकारी कार्यालय में वर्ष 2002–03 से वर्ष 2013–14 तक वन भूमि प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित विस्तृत आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण एवं विशिष्ट स्थल चिन्हीकरण प्रविष्टियों इत्यादि एवं कैम्पा MIS के साथ उपरोक्त सामंजस्य हेतु ToR तैयार कर किसी सुयोग्य आई0टी0 फर्म से कराया जाना प्रस्तावित है जिससे विभिन्न वन प्रभागों में कैम्पा निधि से हो रहे कार्यो का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्थलीय विशिष्ट अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जा सके। इस हेतु चिन्हित की गई आई0टी0 फर्म एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध करायेगी जो कि आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण एवं उनकी प्रविष्टियां करेगा। उक्त कार्य हेतु कैम्पा द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कैम्पा निधि के मद 1.e.2.a (Automation of Department and strengthening of MIS/GIS application) से धनराशि अवमुक्त की जाएगी। कार्यकारी समिति द्वारा उपरोक्त का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल)

कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.6 :

देहरादून वन प्रभाग :

देहरादून वन प्रभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु रू0 17.50 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। गढ़वाल जोन में एन0पी0वी0 मद में कोई धनराशि प्राविधानित नही है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्रसं0 1972(1) 3–9 दिनांक 23 फरवरी, 2012 द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के अनुसार वन मोटर मार्ग सुदृढ़ीकरण/रखरखाव का कार्य कैम्पा परियोजना के अन्तर्गत नही किया जा सकता है परन्तु कार्यकारी समिति द्वारा कार्य की महत्ता एवं वन विभाग में उक्त हेतु धनराशि की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष दशा में केवल वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ही Contingency मद से रु. 17.50 लाख कार्यमद 1.a.10.1 (Repair of bridal path/forest road) में वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति के उपरान्त अवमुक्त किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रदान की गयी। समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्य दिनांक 23 फरवरी 2012 द्वारा जारी की गई मैट्रिक्स के अनुसार ही संपन्न किए जाएंगे।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग)

कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.7

राजाजी राष्ट्रीय पार्क :

राजाजी राष्ट्रीय पार्क में हाथी रोधी दीवार निर्माण हेतु रू0 3070.00 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

इस सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशन्स (NMBA) द्वारा विकसित Thorny perimeter fencing के सम्बन्ध में अवगत कराया जिसका प्रयोग दक्षिणी राज्यों में हाथी व अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। उनके द्वारा NMBA का प्रकाशित फोल्डर समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया जिसमें कांटेदार बांस प्रजाति *Bambusa bambos* की दो अथवा तीन पंक्तियों में रोपण कर 2–3 वर्षो में ही अभेद्य बाड़ विकसित की जा सकती है। उक्त प्रजाति तराई बावर क्षेत्रों में उगाये जाने हेतु उपयुक्त है तथा प्रचुर मात्रा में प्रदेश में उपलब्ध है। अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि उक्त

resource material की प्रति सम्बन्धित वन प्रभागों सहित मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान को प्रेषित कर पायलेटिंग हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें।

(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क)

कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.8

औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (एम0पी0सी0ए0) हेतु एक्शन प्लान

यू0एन0डी0पी0–जेफ परियोजना माह अगस्त, 2014 में समाप्त हो रही है, उक्त के परिपेक्ष में मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण विकास एवं अनुसंधान द्वारा यू0एन0डी0पी0– जेफ द्वारा विकसित कुल 7 औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों जो जनपद अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी में हैं के दीर्घकालीन लाभ अर्जन करने हेतु पुनः एक पंचवर्षीय ड्राफ्ट संहत प्लान (2014–15 से 2019–20)तैयार कर अपने पत्रांक–23/ दिनांक 16.07.2014 के माध्यम से प्रेषित किया है। इसके लिए मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमांऊं संबंधित वन प्रभाग मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रस्ताव पर अपना सुझाव प्रेषित करेंगे तदोपरांत दिनांक 31.08.2014 तक मुख्य वन संरक्षक जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान द्वारा कियान्वयन अभिकरणों से सुझावों का संकलन कर उक्त योजना को अंतिम रूप देते हुए आगामी संपन्न होने वाली कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करेंगे। उक्त औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र हेतु बनाए गए एक्शन प्लान में संपूर्ण बजट का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2015–16 से किया जाएगा।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त परिप्रेक्ष में प्रथम चरण में यू0एन0डी0पी0–जेफ द्वारा विकसित औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों की सुरक्षा चौकीदार तथा पौधशाला रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 5.60 लाख हेतु कार्यकारी समिति द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण, विकास एवं अनुसंधान, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल व कुमांऊं तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.9

प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें द्वारा अवगत कराया कि वर्ष 2014–15 में 4–5 कैट प्लान्स की डी0पी0आर0 तैयार करायी जानी है जिस पर कैट प्लान के अन्तर्गत व्यय किया जाना है। कार्यकारी समिति द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें स्तर पर Contingency मद में संधारित धनराशि से व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रमुख वन संरक्षक, परियोजना द्वारा NABCON "Green India Mission Uttarakhand" के appraisal report की तैयार हेतु अतिरिक्त रू0 6.00 लाख की आवश्यकता को दृष्टिगत Contingency मद में पूर्ण करने हेतु वर्ष 2013–14 में कार्यकारी समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के उपरान्त कैम्पा द्वारा अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें की वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना के मद 5.b.3.1 से उक्त धनराशि का व्यय का प्राविधान किया गया है। समिति के सदस्यगण उपरोक्त से अवगत हुये।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें)

## कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.10

अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संचालन समिति की 5वीं बैठक दिनांक 15.10.2013 की कार्यसूची संख्या 6.8 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि फील्ड स्तर पर परिणामयुक्त मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के कार्य को गति प्रदान करने एवं प्रभावी बनाने हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं विभागीय सचिव सहित उच्च स्तर के अधिकारियों को 25 फील्ड वाहन कैम्पा निधि से अर्जित ब्याज राशि से उपलब्ध कराए जाएंगे परन्तु उक्त 25 वाहनों में से 17 वाहन मुख्य वन संरक्षक एवं उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए तथा 8 वाहन वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि समस्त वाहन मुख्य वन संरक्षक तथा विभागीय सचिव सहित उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने थे परन्तु अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा अपने पत्रांक–6/P.O./5-6 (मो0गा0) दिनांक 25.07.2014 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वनों की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन, अवैध पातन, अतिक्रमण को रोकने, वन्य जीवों की सुरक्षा तथा कैम्पा संचालित कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों में 8 वाहन वन संरक्षक/निदेशक को आवंटित कराए गए। कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन सचालन समिति की आगामी बैठक में प्राप्त कर लिया जाय।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा उल्लिखित उक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किए गए अनुरोध के क्रम में कार्यकारी समिति द्वारा 08 वाहनों (स्कॉर्पियो) को मुख्य वन संरक्षक एवं उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए रू. 80.00 लाख कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से व्यय किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन संचालन समिति की आगामी बैठक में प्राप्त कर लिया जाए।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

## कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.11

कैम्पा निधि के अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक, आई.टी., उत्तराखण्ड हेतु वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना में वन प्रभागों के लिए कम्प्यूटरों के क्रय से सम्बन्धित रू0 50.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गयी है, जिस हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्रांक क–11/4–2 दिनांक 02.07.2014 में निर्देशित किया है कि कम्प्यूटर सिस्टम क्रय किए जाने से पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता एवं आवश्यकता का आंकलन कर लिया जाए व यथा संभव पुराने कंप्यूटर सिस्टम की मरम्मत कर कार्य संचालन किया जाए तथा, यदि उक्त कंप्यूटर सिस्टम मरम्मत योग्य न हों तो आवश्यकतानुसार मूल्यांकन एवं तकनीकी परामर्शदात्री समिति की दिनांक 15.02.2014 की संस्तुति के क्रम में DGS&D की दरों पर, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों के तहत, कम्प्यूटर क्रय किये जाने तथा आवश्यक धनराशि की मांग कैम्पा निधि से करें।

प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय हेतु 2 कम्प्यूटरों की आवश्यकता है जो कार्यालय के अन्य मदों में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण क्रय किया जाना सम्भव नही है। अतः मुख्य वन संरक्षक, आई.टी., उत्तराखण्ड के माध्यम से कैम्पा निधि के अन्तर्गत 2 कम्प्यूटर की व्यवस्था की जाय। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई0टी0, उत्तराखण्ड)

कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.12

मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव प्रशासन, संरक्षण एवं इंटेलिजेंस, प्रतिनिधि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड द्वारा जंगली जानवरों की गणना के लिए प्रोटोकोल विकसित करने हेतु रू0 20 लाख का प्रस्ताव समिति के समुख प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 5.00 लाख की आवश्यकता होगी। इस संबंध में समिति द्वारा रू0 5.00 लाख प्रोटोकोल विकसित करने हेतु कैम्पा निधि से धनराशि अवमुक्त किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई जिसका समिति सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यसमिति 12.10.13

गुर्जर पुनर्वासः

भारत सरकार द्वारा पत्रांक 15-2(34(/2014-CAMPA दिनांक 23.05.2014 के माध्यम से गुर्जर पुनर्वास हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 में आवंटित की गई धनराशि रू0 5.00 करोड़ के प्राविधान पर आपत्ति व्यक्त की गई है। उक्त के कम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि गुर्जर पुनर्वास हेतु राज्य सरकार से रू0 17.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अतएंव वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 में आवंटित की गई उक्त धनराशि की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त धनराशि रू0 5.00 करोड़ को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड के कंटिन्जेन्सी मद में संचालन समिति के अनुमोदन के उपरांत सम्मिलित कर लिया जाए।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(ज्योतिंगा सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(एस0 एस0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा


उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं
नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)
5 मन्दिर मार्ग, वसन्त विहार एन्कलेव,देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेलः ceoukcampa@gmail.com,
Website : www.ukcampa.org


पत्रांक–293 /13–3(12)/2014–15 दिनांक, देहरादून, 16 अगस्त, 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

15/8

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव,उत्तराखण्ड कैम्पा।

क:- 293 (1)/13–3(12)/2014–15 दिनांकित।

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/8

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव,उत्तराखण्ड कैम्पा।